



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082022-237801
CG-DL-E-01082022-237801

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3414]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 1, 2022/श्रावण 10, 1944

No. 3414]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 1, 2022/SHRAVANA 10, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2022

का.आ. 3579(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-516इ के कि.मी 51.772 से कि.मी 92.755 आंध्र प्रदेश राज्य के अल्लुरी सीतारामा राजू जिले में अराकू (भल्लूगुडा) से भोवदारा तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के अल्लुरी सीतारामा राजू जिले में अराकू (भल्लूगुडा) से भोवदारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-516इ के कि.मी. 51.772 से कि.मी. 92.755 पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	सब कलेक्टर पडेरु	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH516E के	आंध्र प्रदेश	अल्लुरी सीतारामा राजू	अराकू घाटी	1 सुकुरुगुडा

		कि.मी. 51.772 से 92.755 तक			अनंथागिरि	1	कोलियागुडा
						2	मोंडीजगुवा
						3	पीमपुडीवलासा
						4	कोडमागुडा
						5	थूम्मनुवलासा
						6	कम्बालाटोटा
						7	चीड़ीवलासा
						8	बंगरमपेटा

[फा. सं. RO/VJA/AnnualPlan/2020-21/1]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st August, 2022

S.O. 3579(E).—In exercise of powers conferred by Clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk/Mandals and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km 51.772 to km 92.755 Araku (Bhalluguda) to Bowdara of National Highway No. 516E in the District of Alluri Sitharama Raju in the State of ANDHRA PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. 516E from km 51.772 to km 92.755 Araku (Bhalluguda) to Bowdara in the District of Alluri Sitharama Raju in the State of ANDHRA PRADESH

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Sub Collector Paderu	51.772KM To 92.755KM	ANDHRA PRADESH	Alluri Sitharama Raju	Araku Valley	1 Sukuruguda
					Ananthagiri	1 Koliyaguda 2 Mondijaguwa 3 Pimpudivalasa 4 Kodamaguda 5 Thummamnuvalsa

						<table><tr><td>6</td><td>Kambalatota</td></tr><tr><td>7</td><td>Cheedivalasa</td></tr><tr><td>8</td><td>Bangarampeta</td></tr></table>	6	Kambalatota	7	Cheedivalasa	8	Bangarampeta
6	Kambalatota											
7	Cheedivalasa											
8	Bangarampeta											

[F. No. RO/VJA/AnnualPlan/2020-21/1]

RAJESH GUPTA, Director